न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्रावली संख्याः 52/2014 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

बशीर खां पुत्र राजे खां जाति गद्दी निवासी भरतपुर दरवाजा कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. इस्लामुद्दीन (मृतक)
   1/1 इस्माइल
   1/2 बिलाल — पुत्रगण
   1/3 पिन्टू
   1/4 शमीला पत्नी
   1/5 महनाज पुत्री
   — स्वर्गीय इस्लामुद्दीन, जाति गद्दी निवासी मेरठ, तहसील व जिला मेरठ (यू0पी0)

   1/6 शहनाज पुत्री इस्लामुद्दीन पत्नी जाविद निवासी रामनेर गंगापुरसिटी, रेल्वे स्टेशन के पास जिला सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 20.5.2014 वसिलसिले नामान्तरकरण संख्या 311 कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. श्री दुलीचंद शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री लोकेन्द्रनाथ चतुर्वेदी वकील रैस्पोडन्ट।

दिनांक : 9.5.2018

निर्णय

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार वैर की आज्ञा दिनांक 20.5.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश से मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र के दिनांक 12.10. 2013 को गुलावनवी फौत एवं रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 311 दिनांक 20.5.2014 स्वीकृत किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि विवादित भूमि पर पहले से ही पक्षकारों के बीच नियमित वाद

विचाराधीन है। नियमित वाद के विचाराधीन रहते नामान्तरकरण जैसी समरी प्रोसिडिंग को रोका जाना चाहिऐ था। तहत अदालत ने मौके पर वास्तविक कब्जे की जांच भी नहीं की गई है। अपीलान्ट का इस आराजी पर कोई सरोकार नहीं है न ही कब्जा है। वास्तविक्ता यह है कि अपीलान्ट का इस विवादित भूमि पर शुरू से ही कब्जा चला आ रहा हैं । वसीयतनामा के आधार पर वसीयतनामा की सत्यता एवं वैधानिकता की एवं मौके की जांच किये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज किया है जो गलत है। नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व नामान्तरकरण से संबधित राज0 भू–राजस्व अधिनियम के नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। नामा0 के हर खासोआम के नोटिस जारी नहीं किये गये है और न ही अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है जो इस आराजी पर हित रखते है। अन्त में वकील अपीलान्टस द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 311 दिनांक 20.5.2014 कस्बा वैर निरस्त फरमाये जाने एवं नियमित वाद के अन्तिम निस्तारण तक नामान्तरकरण की समरी प्रोसीडिंग्स को स्थगित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत तहसीलदार वैर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.5.2014 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि तहत अदालत में अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमानुसार वसीयतनामा के आधार पर पूर्ण रूपेण कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही स्वीकृत किया गया है। इस आदेश से अपीलान्टस को कोई सरोकार नहीं है और ना ही अपीलाधीन दाखिल खारिज में अपीलान्ट पक्षकार थे। वास्तव में अपीलान्टस इस अपीलाधीन आदेश से एग्रीब्ड भी नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। कानून का यह सर्वमान्य सिद्यान्त है कि यदि कोई पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही में पक्षकार नहीं है तो उसे न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। वास्तव में अपीलाधीन नामान्तरकरण उत्तराधिकार के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जबकि अपीलान्ट मृतक गुलावनवी का न तो कोई उत्तराधिकारी है न ही कोई सगा–सम्बन्धी है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तरकरण के खिलाफ अपील पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अपीलान्ट अपने इण्डिपेन्डेन्ट के अधिकारों पर अपील कन्टेस्ट करना चाहता है जबकि विरासत के नामान्तरकरण में स्वतन्त्र अधिकार कानूनन तय नहीं किये जा सकते न्यायिक दृष्टि से यह अपील मेन्टेबिल ही नहीं है। चूंकि अपीलान्ट इस आराजी पर किसी भी सूरत में कोई हक हकूक नहीं रखते है न उनके द्वारा अपनी अपील में हक हकूकी संबधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है ऐसी स्थिति में यह अपील आधारहीन होने के कारण खारिज फरमायी जावे। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत द्वारा मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र के दिनांक 12.10.2013 को गुलावनवी फौत एवं रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण 311 बहाल रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 311 के कॉलम संख्या 14 व 16 से जाहिर है कि खातेदार गुलाबनवी के फौत होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र/रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर रैस्पोडेन्ट के हक में खोला गया है जो मृतक खातेदार के

विधिक वारिस है। मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 367 दिनांक 19.10.2013 उपरजिस्ट्रार जन्म मृत्यु छावनी परिषद मेरठ जारी किया गया एवं वसीयत दिनांक 26.11.2010 पुस्तक संख्या III जिल्द 8 पृष्ठ संख्या 59 क्रम संख्या 5 पर पंजीबद्ध है। जिनके आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण बाद जांच दिनांक 20.5.2014 को स्वीकृत किया गया हैं। अदालत हाजा के समक्ष अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई प्रमाण/दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिसके अधार पर इस आराजी पर उनका कोई स्वत्व/हक हकूकी अधिकार माना जा सके। अपील में उनके द्वारा उठाये गये बिन्दु कि वसीयतनामा की जांच नहीं की गई, मजमें आम में नहीं सुनाया गया या अपीलान्ट को नोटिस नहीं दिया गया, नियमों की पालना नहीं की गई आधारहीन है, क्यों कि वसीयतनामा की वैद्यता की जांच जैसे जटिल बिन्दु का विनिश्चय नामान्तरकरण की कार्यवाही में सम्भव नहीं है न ही राजस्व अदालत का क्षेत्राधिकार है। नामान्तरकरण एक समरी प्रोसीडिंग्स के साथ–साथ एक वित्तीय प्रकृति का मामला भी है । इस प्रकरण में बिना कोई ठोस आधार के एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा के मुताबिक नामान्तरकरण खोले जाने के अलावा तहत अदालत के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत तहसीलदार वैर द्वारा स्वीकृत अपीलधीन नामान्तरकरण संख्या 311 दिनांक 20.5.2014 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। लिहाजा अपील अपीलाधीन आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार वैर द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 311 दिनांक 20.5.2014 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9.5.2018 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर